न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नेरसिंह बनाम सिवचरण मु.नं.– 30/25 किस्म – T.B.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	03.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी क्र. 01 की विधिवत रूप से तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त पर्याप्त समय के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी सं. 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.B. दिनांक 29.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	29.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.B. दिनांक 14.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	नेरसिंह
	14.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.B. पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.B. दिनांक 29.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	29.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नेरासिंह बनाम शिवचरण मु.नं.– 30/25 किस्म – T.A.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली ~~फैस~~ में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30/2025	24.03.2025	29.08.2025

बउनवान

1. नेरसिंह मीना पुत्र शिवचरण मीना, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. शिवचरण मीना पुत्र स्व. हजारी मीना, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
3. उपपंजीयक मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री शिवदत्त जैमिनी।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री खेंमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 146 की आराजी खसरा सं. 580 रकबा 0.09 हैक्टे., कुल किता 1 गैरमुमकिन कुंआ, खाता सं. 195 के खसरा सं. 618 रकबा 0.07 हैक्टे., 619 रकबा 0.13 हैक्टे., 620 रकबा 0.14 हैक्टे., 622 रकबा 0.01 हैक्टे., 623 रकबा 0.03 हैक्टे., 636 रकबा 0.03 हैक्टे., 637 रकबा 0.25 हैक्टे., 638 रकबा 0.20 हैक्टे., 639 रकबा 0. 20 हैक्टे., 640 रकबा 0.07 हैक्टे., 650 रकबा 0.98 हैक्टे., 805 रकबा 0.48 हैक्टे., कुल किता 12, कुल रकबा 2.59 हैक्टे., खाता सं. 196 के खसरा सं. 198/1215 रकबा 0.09 हैक्टे., 199 रकबा 0.56 हैक्टे., 200 रकबा 2.46 हैक्टे., 203 रकबा 0.06 हैक्टे., 204 रकबा 0.02 हैकटे., 207 रकबा 0.09 हैक्टे., 209 रकबा 0.11 हैक्टे., 220 रकबा 0.01 हैक्टे., 221 रकबा 0.01 हैक्टे., 223 रकबा 0.02 हैक्टे, 224 रकबा 0.04 हैक्टे., 225/1217 रकबा 0.04 हैक्टे., 226/1216 रकबा 0.08 हैक्टे., 891 रकबा 0.43 हैक्टे., 892 रकबा 0.05 हेक्टे., कुल किता 15, कुल रकबा 4.05 हैक्टे, खाता संख्या 197 के खसरा नं. 893 रकबा 0.14 हैक्टे., कुल किता 1, कुल रकबा 0.14 हैक्टे., खाता संख्या 217 के खसरा नं. 208 रकबा 1.60 हैक्टे., कुल कित्ता 1 कुल रकबा 1.60 हैक्टे. ग्राम बनावड, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। मृतक हजारी के दो पुत्र एवं एक पुत्री संतानें हैं। इसमें अप्रार्थी सं. 1 व इसकी एक बहन कैलाशी जीवित है व एक बड़ा भाई कैलाश (मृतक) की मृत्यु दिनांक 06.01.1989 को हो गई थी। उस समय कैलाश व प्रेम (पत्नि कैलाश) के संसर्ग से एक पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पिस्ता व पुत्र पुष्पेन्द्र हैं जो उस समय नाबालिग थे। अप्रार्थी संख्या 1 के अपने विवाहिता पत्नि मुख्तयारी से भी दो संतानें एक पुत्री कविता व एक पुत्र लाला राम हैं। स्वर्गीय कैलाश पुत्र स्व. हजारी की मृत्यु दिनांक 06.01.1989 को हो जाने उपरान्त बच्चों के पालन–पोषण के लिए अप्रार्थी सं. 1 की सहमति के बाद इसके माता–पिता व परिवार के रिश्तेदार सहित पंच पटेलों व गांव के बुजुर्गों ने स्वर्गीय कैलाश की पत्नि प्रेम को समाज की नाता प्रथा के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के नाते बैठा दिया। इसके बाद श्रीमती प्रेम व शिवचरण के संसर्ग से एक पुत्र नेरसिंह का जन्म हुआ जो उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी है। इस प्रकार कानून के तहत प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व हक बनता है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है जो पूर्वजों से विरासत में हिस्सानुसार प्राप्त हुई है जिस पर हिस्से के मुताबिक अधिकारपूर्वक खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आई पैतृक आराजी में प्रार्थी का जन्म से (By Birth) कानूनी हक है। अप्रार्थी बरसों से प्रार्थी के पास ही रहता आया है लेकिन अब अप्रार्थी सं. 1 का दूसरा पुत्र लालाराम के मन में बदयान्ति आ जाने से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी को अपने नाम करवाना चाहता है तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 सम्पूर्ण आराजी अपने दूसरे पुत्र लालाराम के नाम करवाना चाह रहा है। अप्रार्थी सं. 1 शराब का आदी है तथा अपने दूसरे पुत्र लालाराम के बहकावे में आकर प्रार्थी की बात मानने को तैयार नहीं है। प्रार्थी को कमाने खाने के लिए जो हिस्से की आराजी भूमि दी, वह भी बोने जोतने नहीं दे रहा जबकि यह प्रार्थी के पूर्वजों की पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थी का जन्म से (By Birth) कानूनी हक है। अप्रार्थी सं. 1 अपने पुत्र लालाराम के बहकावे में सम्पूर्ण आराजी का हकत्याग, रहन बेचान, दानपत्र करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं. 1 आराजी को रहन बेचान कर देगा तो प्रार्थी व इसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी तथा वादी अपने संवैधानिक एवं कानूनी हक से वंचित हो जावेगा। दिनांक 18.03.2025 को प्रार्थी अपनी पैतृक आराजी के हिस्से जो उसे सौंप रखी थी, पर फसल की देखभाल करने गया तो अप्रार्थी सं. 1 व इसके पुत्र लालाराम ने गाली–गलौच देते हुए धक्का देकर धमकी देते हुए कहा कि तेरे हाथ–पैर तोड कर तेरा जीवन बरबाद कर देंगें। इस भूमि में से तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के हिस्से की आराजी भूमि भी रहन, बेचान खुर्द –बुर्द करने पर आमादा है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ उक्त विवादित आराजी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी हुआ है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 की पैतृक आराजी है जो विरासत में प्राप्त हुई है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो वादी के हिस्से को भी खुर्द बुर्द देगा और वादी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगा और प्रार्थी को अकथनीय व अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी अपने पैतृक आराजी में निहित हक हकूकों से हमेशा के लिए वंचित हो जावेगा जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी। प्रार्थी के पास अपने परिवार के पालन–पोषण के लिए आराजी के अलावा कोई अन्य आय का जरिया नहीं है। बिनाय प्रार्थना पत्र एवं बिनाय मुखास्मत दिनाँक 18.03.2025 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी के हिस्से की पैतृक आराजी को रहन–बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने के कारण वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर में पैदा हुआ है। प्रथम दृष्ट्या केस तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में पूर्णतया साबित है। दौराने दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाये जाने से उन्हें कोई हानि होने की संभावना नहीं है जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किये जाने से प्रार्थी को अकथनीय आर्थिक क्षति कारित होगी और अपनी पैतृक आराजी में निहित हक हकूकों से हमेशा के लिए वंचित हो जावेगा। अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया साबित है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अप्राथीगण को तादौराने दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरवाया जावे कि प्रार्थनापत्र के विवादित आराजीयात में वर्णित वादग्रस्त आराजी समस्त भूमि जो वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर में स्थित है जिसमें से अप्रार्थी सं. 1 की हिस्से की खातेदारी में से प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में स्वयं अप्रार्थी सं. 1 एवं इनके एजेन्ट, नौकर या मददगारान द्वारा किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत ना करें। खाम व पुख्ता निर्माण न करें, फसल को बोने व काटने के समय झगडा फसाद ना करें, किसी दीगर व्यक्ति को रहन–बय न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की तब्दीली ना करें एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 03 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी का अप्रार्थी सं. 1 रिकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन के अनुसार विवादित आराजीयात पैतृक आराजी है। प्रार्थी/वादी, वाद पत्र के द्वारा विवादित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में से अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिवीजन सं. 1825/2017 उनवान अंकिता वगै. बनाम ताराचंद वगै. में दिनांक 14.06.2017 को पारित निर्णय में अभिधारित किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्र को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते। इस निर्णय में अभिनिर्धारित सिध्दांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। खातेदार अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध व्यादेश जारी किये जाने से अप्रार्थी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये इस प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)